-1-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अपील प्रकरण कमांक /2016 जिला जबलपुर

1- प्रीतमसिंह उम्र 23 वर्ष
2- हुकुम सिंह उम्र 19 वर्ष
पुत्रगण श्री छक्के लाल गौंड़
दोनों निवासी - 7, ग्राम जुनवानी
तहसील व जिला जबलपुर —— अपीलार्थी

विरुद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर —— प्रति अपीलार्थी

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक प्रकरण कमांक 03/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 7-11-16 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35 (4) के तहत अपील.

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वामित्व की ग्राम रिछाई प.ह.नं. 93 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 396, 395 रकबा कमशः 0.400 एवं 0.950 हैक्टर स्थित है । अपीलार्थीगण उक्त भूमि को गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्री अभिजीत सिंह परिवाहर पुत्र श्री अजीत सिंह परिवार को विकय करना चाहते हैं, अतः विकय करने की अनुमति प्रदान की जाये । उक्त आवेदन जिलाध्यक्ष ने आदेश

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 4271-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-1-17	यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 03/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 21-11-16 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 07-11-16 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है । 3- प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें अपीलार्थी द्वारा ग्राम रिछाई प.ह.नं. 93 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 396, 395 रकबा क्रमशः 0.400 एवं 0.950 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है । प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदित भूमि अपीलार्थी की स्वअर्जित भूमि है शासन से प्राप्त भूमि नहीं है । चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास आवेदित भूमि के अतिरिक्त ग्राम उर्रम में 4.190 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त है । अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि क्रेता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात जिलाध्यक्ष द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-11-16 निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को उसके स्वामित्व की ग्राम रिछाई प.ह.नं. 93 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 396 एवं 395 रकबा क्रमशः 0.400 एवं 0.950 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है । 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) अपीलार्थी के खाते में जमा की जायेगी । अपील तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर	